10.01.2018	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुना गया। हमने लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। लोक सूचना अधिकारी का कथन है कि आवेदन पत्र में आवेदित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबधित नहीं होने पर अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जिला श्रम कल्याण अधिकारी जालोर को जरिए पत्रांक 1206 दिनांक 15.11.2017को अंतरित किया गया। जबकि अपीलकर्ता ने यह लिखते हुये अपील प्रस्तुत की है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के प्रावधानो के तहत पंजीयन करने और स्मार्ट कार्ड के रूप में परिचय पत्र देने हेतु जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है तथा रिकॉर्ड कीपिंग कर संधारण जिला प्रशासन स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। चूंकि अपील प्रस्तुत होने पर राज्य सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर)द्वारा सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का पुनः परिक्षण कर आवेदित सूचना के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के संबध में प्रार्थी/अपीलार्थी को जरिए पत्रांक/आरटीआई/2018/27दिनांक10.01.2018के द्वारा सूचित किया जा चुका है।राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न श्रम कल्याण अधिकारी जालोर के पत्रांक 371 दिनांक15.12.2017की प्रति के अनुसार आवेदित सूचना के बिन्दु संख्या 3 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है।अत:उपरोक्त विवचन अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। सही/- (बी.एल.कोठारी) **प्रथम अपीलीय अधिकारी** (जिला कलेक्टर) जालोर	